

## संस्थान

### संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या - प्राधिपारिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 25/05/2021

#### कार्यालय श्रावः

संघित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मोसी कॉलेज-कठ-ओम इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वीकेए सं 2021-22 हेतु डिप्लोमा/डीग्री तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/05/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं 2021-22 हेतु भारतीय नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश कक्षा वृद्धि सहित अन्य स्वी पर विचार करते हुए सं 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सं 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरांश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2238-SANJIVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, KIRITANPUR, BAIHARACH

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.टी.सी.टी.आई.टी. पी.टी.आई. द्वारा सं 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.टी.सी.टी.आई.टी. पी.टी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली: 1982, संशुद्ध विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा वार्षिक निवारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन-वर्षीय इन्फो पाठ्यक्रमों हेतु सं 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो-वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु सं 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक-वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वार्षिक फार्मोसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु सं 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक कार्यक्रम से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपाध्यक्षों से शुल्क के अन्तर्गत में समय-समय पर शायद द्वारा निर्धारित किये जाने वाले कारणवश प्रभवी होंगे, और उक्तुद्धार कार्यवाही किया जाय आवश्यक होगा। शीश निर्धारण समिति द्वारा यदि सं 2021-22 हेतु शीश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शीश का भीनात्मक धन खर्च होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उप निर्धारित, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना/निर्धारणवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सम्पूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कराई कर ही किये गिया जायेगा। शीश के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्धारित प्रशासनाध्यक्ष के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को 20-अर्द्ध-सी0टी0ई0/बी0टी0-अर्द्ध से आगामी चक्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविनियोगी/अधिनियोगी/शासन-देशीय/देशी एंड नियंत्रक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा द्वितीयक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये विनियोगी, विनियोगी, अर्द्ध-बी0टी0 एवं पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ देशोपमा इन फार्मों की पाठ्यक्रम संशोधन कार्य पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रही है तो इस कार्य में सहायता उपलब्ध सेवा कर द्वारा और भौतिक रूप से विन्दी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य-उपलब्ध होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं द्वितीयक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में ना-आपत्तय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति राकवी-अर्द्ध-विधि किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति उपस्थित राख करनी होगी।
- ✓ देशोपमा इन फार्मों की पाठ्यक्रम संशोधन करने वाली संस्थाओं को संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संकुल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0बी0-अर्द्ध से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) अवसर संस्था सरकार सी0ई0/अनुमोदित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु विधि नवीनता आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने केवलाइन पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे आगामी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, वाक्य, वाक्य-वाक्य, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला फूलक, छात्रवास फूलक आदि का निवृत्त उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-प्रतिष्ठान हेतु उपर्युक्त बातव्यवहार उपलब्ध कराने के साथ रेगियु रोकने के संकल्प में समस्त आवश्यक उपकरण सुरक्षित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को जल्द ही हेतु निरीक्षण समिति के माध्यम उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-जान, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का खर्च संस्था द्वारा किसी रूप में पाठ्यक्रम के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमोदना की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपामानुसार अनुपस्थानक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 29/08/2021

प्रतिरक्षित-

प्रधान कार्यनिदेशक SANJIVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT,  
KIRTAHPUR, BAHRAICH



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



- ✓ यदि संस्था का 10-अर्हता/वी0ई0बी0सी0आई0 से अनुमोदन मिलना किया जाता है तो इस संस्था में सफल उपस्थानित संस्था का द्वारा और निम्नित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था का उपस्थानित होगा। प्रमाणित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रमाणित शिक्षा निदेशालय एवं प्रमाणित शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रशासन के निरूद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तो कदम उठाया जाने के संबंध में मा. निदेशालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अंतर्गत निर्णय किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित कार्य को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अनुमोदित कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व 10-अर्हता/वी0ई0बी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपस्थानित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की प्रमाणित के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रवेश अनुमति प्राप्त नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-संस्था पर निर्णय नवीनतम आरक्षण निर्णय का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, स्टाफ, माध्यम, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला कृषक, छात्रवास कृषक आदि का विवरण उपस्थानित करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-प्रमाणित हेतु उपयुक्त वातावरण उपस्थानित करने के साथ रेगिस्ट्रार सेल के अंतर्गत में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्राथमिक व्यवस्थित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपस्थानित करने के अंतर्गत, भूमि भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण के संवाहना में प्राप्ति किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपस्थानित का प्राप्ति होती अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की संस्थागत समानता किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के जोड़क स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्राणशाला, उपकरण एवं अन्य सामान्य 10-अर्हता/वी0ई0बी0सी0आई0-परिषद के मानकानुसार उपस्थानित नहीं पाया जाता है तो संस्था की संस्थागत समानता कर दी जाएगी।
- ✓ संस्थागत कार्य का अनुपालन न होने पर आरक्षण कार्य का उपस्थानित किये जाने की स्थिति में निदेशालय अनुपालन/संस्थागत कार्यवाही की जाएगी।

  
 (एक0आर0 खान)  
 सचिव

पृष्ठ सं. प्राविप/परिषद संस्था/द्वारा/2022/7545-8455

दिनांक: 16/05/2022

प्रतिष्ठा -  
 प्रमाणित निदेशालय SANJIVANI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

  
 (एक0आर0 खान)  
 सचिव



